झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

का० आ० सं०–08 / ज०सं०(नि०) ल०सिं० राँची–04 / 2010 .... / राँची, दिनांक ....

आदेश

श्री सैयद शकील अहमद, तत्कालीन सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल हुसैनाबाद के विरूद्ध वर्ष 2007–08 में फर्जी विपत्रों के माध्यम से बिना कार्य कराये सरकारी राशि का अनियमित समयोजन दिखाकर राशि के गबन का आरोप पत्र गठित कर विभागीय संकल्प सं०–1824 दिनांक–26.02.2014 द्वारा पेंशन नियमावली के नियम–43बी के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री अहमद के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। जाँच प्रतिवेदन के सम्यक् समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री अहमद को आरोपमुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

4. अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह० / –
(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : ......1009...... राँची / दिनांक 12/02/19

प्रतिलिपि :– उप सचिव(प्र०), प्रशाखा–2, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, हुसैनाबाद / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

श्री सैयद शकील अहमद, सेवानिवृत सहायक अभियंता, मोहल्ला–चुड़ीटोला (मिल्लत कॉलोनी) काँके, राँची–834006 को सूचनार्थ प्रेषित।

11/02/19

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

Sushma

D:\MINZ\Letter\Order\08_J.S (N) _L.S. Ranchi_04_2010_(Syad Shakil Ahmad).docx 1